

सं. ई.11014/2/2014-रा.भा.(का.)

भारत सरकार  
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय  
राजभाषा प्रभाग

पर्यावरण भवन, नई दिल्ली  
दिनांक : 13.03.2014


कार्यालय ज्ञापन

**विषय : पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अनुभागों/प्रभागों का राजभाषायी निरीक्षण - वर्ष 2014-15.**

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा सरकारी कामकाज में राजभाषा हिंदी का उत्तरोत्तर प्रयोग बढ़ाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष जारी किए जाने वाले वार्षिक कार्यक्रम में, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रत्येक कार्यालय के अनुभागों/प्रभागों का राजभाषायी निरीक्षण किया जाना आवश्यक है ताकि सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग के संबंध में पेश आ रही कमियों को दूर किया जा सके।

राजभाषा विभाग के उक्त वार्षिक कार्यक्रम के अनुपालन में, संयुक्त सचिव (प्रशा.) के अनुमोदन से वर्ष 2014-15 में मंत्रालय के अनुभागों/प्रभागों का अनुलग्नक-1 में दिए गए अनुसार राजभाषायी निरीक्षण किए जाने का निर्णय लिया गया है जिसके लिए संबंधित अनुभाग/प्रभाग द्वारा भरा जाने वाला निरीक्षण प्रपत्र (अनुलग्नक-2) भी संलग्न है।

संबंधित अनुभागों/प्रभागों से अनुरोध है कि वे निरीक्षण-कार्यक्रम के दौरान निरीक्षणकर्ता दल को अपना पूरा सहयोग दें और इस कार्यालय ज्ञापन के साथ संलग्न निरीक्षण प्रपत्र को अग्रिम रूप से दो प्रतियों में भरकर तैयार रखें तथा निरीक्षण के समय निरीक्षणकर्ता दल को प्रस्तुत करें।

  
(बृजभान)

उप निदेशक (रा.भा.)

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के सभी अनुभाग/प्रभाग (संलग्न सूची के अनुसार)।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अनुभागों/प्रभागों का राजभाषायी निरीक्षण - वर्ष 2014-15.

क्र.सं. (1)	अनुभाग/प्रभाग का नाम (2)	निरीक्षणकर्ता अधिकारी (3)	निरीक्षण की तारीख (4)
1.	कार्मिक -I (पी -I)	सहायक निदेशक + 01 अनुवादक	04.04.2014
2.	कार्मिक -II (पी -II)	सहायक निदेशक + 01 अनुवादक	11.04.2014
3.	कार्मिक -III (पी -III)	सहायक निदेशक + 01 अनुवादक	17.04.2014
4.	सामान्य प्रशासन (जी ए)	सहायक निदेशक + 01 अनुवादक	25.04.2014
5.	सामान्य समन्वय अनुभाग (जी सी)	सहायक निदेशक + 01 अनुवादक	02.05.2014
6.	रोकड़ अनुभाग (केश)	सहायक निदेशक + 01 अनुवादक	09.05.2014
7.	सर्तकता अनुभाग	सहायक निदेशक + 01 अनुवादक	16.05.2014
8.	संसद अनुभाग	सहायक निदेशक + 01 अनुवादक	23.05.2014
9.	बजट एवं लेखा अनुभाग	सहायक निदेशक + 01 अनुवादक	06.06.2014
10.	एकोक्त वित्त प्रभाग (आई एफ डी)	सहायक निदेशक + 01 अनुवादक	13.06.2014
11.	भारतीय वन सेवा-I(आई एफ एस -I)	सहायक निदेशक + 01 अनुवादक	20.06.2014
12.	भारतीय वन सेवा-II(आई एफ एस-II)	सहायक निदेशक + 01 अनुवादक	04.07.2014
13.	वन स्थापना (एफ ई)	सहायक निदेशक + 01 अनुवादक	11.07.2014
14.	वन संरक्षण (एफ सी)	सहायक निदेशक + 01 अनुवादक	18.07.2014
15.	वायु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सी पी ए)	सहायक निदेशक + 01 अनुवादक	25.07.2014
16.	वन नीति (एफ पी)	सहायक निदेशक + 01 अनुवादक	01.08.2014
17.	सर्वेक्षण और उपयोगिता (एस यू)	सहायक निदेशक + 01 अनुवादक	08.08.2014
18.	वन्यजीव अनुभाग (वाल्ड लाइफ)	सहायक निदेशक + 01 अनुवादक	14.08.2014
19.	संरक्षण और सर्वेक्षण (सी एस-I)	सहायक निदेशक + 01 अनुवादक	22.08.2014
20.	भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, संरक्षण और सर्वेक्षण (सी एस जेड)-सी एस-II	सहायक निदेशक + 01 अनुवादक	01.09.2014
21.	भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, संरक्षण और सर्वेक्षण (सी एस बी)-सी एस-II	सहायक निदेशक + 01 अनुवादक	05.09.2014
22.	संरक्षण और सर्वेक्षण (सी एस - III)	सहायक निदेशक + 01 अनुवादक	10.09.2014
23.	परिसंकटमय पदार्थ प्रबंधन प्रभाग (एचएसएमडी)	सहायक निदेशक + 01 अनुवादक	10.10.2014
24.	पर्यावरणीय शिक्षा (ई ई)	सहायक निदेशक + 01 अनुवादक	14.10.2014
25.	बाह्य वित्त पोषित परियोजनाएं(ई ए पी)	सहायक निदेशक + 01 अनुवादक	17.10.2014
26.	आंतरिक कार्य अध्ययन एकक (आईडब्ल्यूएसयू)	सहायक निदेशक + 01 अनुवादक	24.10.2014
27.	अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सतत विकास-I(आई सी एण्ड एस डी-I)	सहायक निदेशक + 01 अनुवादक	12.11.2014
28.	अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सतत विकास -II (आई सी एण्ड एस डी -II)	सहायक निदेशक + 01 अनुवादक	14.11.2014
29.	जलवायु परिवर्तन (सी सी)	सहायक निदेशक + 01 अनुवादक	21.11.2014
30.	नीति और कानून (पी एल)	सहायक निदेशक + 01 अनुवादक	25.11.2014
31.	नयाचार (प्रोटोकॉल)	सहायक निदेशक + 01 अनुवादक	01.12.2014
32.	क्षेत्रीय कार्यालय मुख्यालय (आरएचओक्यू)	सहायक निदेशक + 01 अनुवादक	05.12.2014
33.	बाघ परियोजना (पी टी)	सहायक निदेशक + 01 अनुवादक	09.12.2014
34.	जीव-जन्तु कल्याण बोर्ड (एंड डब्ल्यू डी)	सहायक निदेशक + 01 अनुवादक	12.12.2014
35.	हाथी परियोजना (पी ई)	सहायक निदेशक + 01 अनुवादक	05.01.2015
36.	अनुसंधान एवं प्रशिक्षण (आर टी)	सहायक निदेशक + 01 अनुवादक	09.01.2015
37.	वन सुरक्षा प्रभाग (एफ पी डी)	सहायक निदेशक + 01 अनुवादक	16.01.2015
38.	योजना एवं समन्वय (पी सी)	सहायक निदेशक + 01 अनुवादक	23.01.2015
39.	प्रदूषण नियंत्रण (जल) (सी पी डब्ल्यू)	सहायक निदेशक + 01 अनुवादक	03.02.2015
40.	प्रभाव मूल्यांकन -I (आई ए -I)	सहायक निदेशक + 01 अनुवादक	06.02.2015
41.	प्रभाव मूल्यांकन -II (आई ए -II)	सहायक निदेशक + 01 अनुवादक	13.02.2015
42.	प्रभाव मूल्यांकन -III (आई ए -III)	सहायक निदेशक + 01 अनुवादक	20.02.2015
43.	पर्यावरणीय अनुसंधान (आर ई)	सहायक निदेशक + 01 अनुवादक	27.02.2015

*[Handwritten signature]*

भारत सरकार  
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय  
(राजभाषा प्रभाग)

पर्यावरण भवन, सी जी ओ कॉम्प्लेक्स  
लोदी रोड़, नई दिल्ली - 110 003

राजभाषा हिंदी में काम-काज की प्रगति का जायजा लेने के लिए  
अनुभागों/प्रभागों के राजभाषायी-निरीक्षण के लिए प्रश्नावली

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

अनुभागों/प्रभागों के राजभाषायी निरीक्षण के लिए प्रश्नावली

(चालू छमाही से तत्काल पहले की छमाही के आंकड़े प्रस्तुत किए जाएं)

पिछले निरीक्षण की तारीख :

वर्तमान निरीक्षण की तारीख :

1. अनुभाग/प्रभाग का नाम :

2. अनुभाग /प्रभाग में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी

अधिकारी

कर्मचारी

- (i) अनुभाग अधिकारी एवं समकक्ष स्तर के कुल अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या (समूह 'घ' कर्मचारियों को छोड़कर)
- (ii) हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर्मिकों की संख्या\*
- (iii) हिंदी -भाषा का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर्मिकों की संख्या\*\*
- (iv) उन कर्मिकों की संख्या जो वर्तमान में हिंदी-भाषा का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं
- (v) उन कर्मिकों की संख्या जिन्हें हिंदी-भाषा का प्रशिक्षण दिया जाना शेष है

**नोट: \*** हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर्मचारी उसे माना जाता है जिसने (i) मैट्रिक या समतुल्य या उससे उच्चतर परीक्षा हिंदी माध्यम से उत्तीर्ण की हो, अथवा (ii) स्नातक या समतुल्य या उससे उच्चतर परीक्षा में हिंदी को एक वैकल्पिक विषय के रूप में लिया हो, अथवा (iii) निर्धारित प्रपत्र में हिंदी में प्रवीणता प्राप्त होने की घोषणा की हो।

**\*\*** हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर्मचारी उसे माना जाता है जिसने (i) मैट्रिक या समतुल्य या उससे उच्चतर परीक्षा हिंदी विषय के साथ उत्तीर्ण की हो, अथवा (ii) केन्द्र सरकार की हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत आयोजित प्राज्ञ परीक्षा या पदों की किसी विशिष्ट श्रेणी के संबंध में सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट कोई निम्नतर परीक्षा या केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में विनिर्दिष्ट कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो, अथवा (iii) निर्धारित प्रपत्र में हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त होने की घोषणा की हो।

3. अनुभाग/प्रभाग में कार्यरत आशुलिपिकों/उच्च श्रेणी लिपिकों/अवर श्रेणी लिपिकों की संख्या

आशुलिपिक    उच्च श्रेणी लिपिक    अवर श्रेणी लिपिक

- (i) कुल संख्या
- (ii) हिंदी-आशुलिपि/हिंदी टंकण में प्रशिक्षित
- (iii) हिंदी-आशुलिपि/हिंदी-टंकण का कार्य करने वाले
- (iv) हिंदी-आशुलिपि/हिंदी-टंकण में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे

4. केवल हिंदी में निबटाए जाने वाले विषय :

यदि किन्हीं विषयों से संबंधित कार्य अनुभाग/प्रभाग द्वारा केवल हिंदी में निबटाने के लिए चुना गया है तो उन विषयों का विवरण दें ।

5. उन अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या जो अपना काम हिंदी में

	<u>अधिकारी</u>	<u>कर्मचारी</u>
(i)	नहीं कर रहे हैं	
(ii)	25% तक कर रहे हैं	
(iii)	25% से 75% तक कर रहे हैं	
(iv)	75% से अधिक कर रहे हैं, और	
(v)	शत-प्रतिशत कर रहे हैं	

6. अनुभाग/प्रभाग द्वारा प्रयोग किए जा रहे मानक मसौदे और प्रपत्र/फॉर्म (Standard drafts and Proformas/Forms):

	<u>मसौदे</u>	<u>प्रपत्र/फॉर्म</u>
(i)	कुल संख्या	
(ii)	केवल हिंदी में	
(iii)	केवल अंग्रेजी में	
(iv)	द्विभाषी रूप में	

7. अनुभाग/प्रभाग द्वारा प्रयोग किए जा रहे कम्प्यूटर :

(i)	कुल संख्या
(ii)	केवल हिंदी में
(iii)	केवल अंग्रेजी में
(iv)	द्विभाषी रूप में
(v)	हिंदी में टंकित कार्य की प्रतिशतता

8. अनुभाग/प्रभाग द्वारा प्रयोग किए जा रहे शब्दकोश/शब्दावली/सहायक साहित्य :

- (i) अंग्रेजी - हिंदी शब्दकोशों की संख्या
- (ii) हिंदी-अंग्रेजी शब्दकोशों की संख्या
- (iii) तकनीकी शब्दावलियों (वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा तैयार की गई) की संख्या

9. अनुभाग/प्रभाग द्वारा प्रयोग किए जा रहे रजिस्टर :

प्रयोग किए जा रहे/खोले गए कुल रजिस्ट्रों की संख्या	उन रजिस्ट्रों की संख्या जिनके शीर्षक तथा शीर्षनाम द्विभाषी हैं	उन रजिस्ट्रों की संख्या जिनमें प्रविष्टियां हिंदी में की जा रही हैं	यदि सभी रजिस्ट्रों में प्रविष्टियां हिंदी में नहीं की जा रही हों तो उसका कारण
--	--	---	---

10. सेवा-अभिलेख/सेवा-पुस्तिकाएँ (केवल प्रशासन अनुभागों/प्रभागों हेतु) :

कुल संख्या	उन सेवा-अभिलेखों/ सेवा-पुस्तिकाओं की संख्या जिनके शीर्षक तथा शीर्षनाम द्विभाषी हैं	उन सेवा-अभिलेखों/ सेवा-पुस्तिकाओं की संख्या जिनमें प्रविष्टियां हिंदी में की जा रही हैं	यदि सभी सेवा-अभिलेखों/सेवा-पुस्तिकाओं में प्रविष्टियां हिंदी में नहीं की जा रही हैं तो उसका कारण
------------	--	---	--

11. अनुभाग/प्रभाग द्वारा प्रयोग की जा रही रबड़ की मोहरें, सील, पत्र-शीर्ष, नाम पट्ट आदि :

	कुल संख्या	केवल हिंदी में	केवल अंग्रेजी में	हिंदी-अंग्रेजी में
(i)	रबड़ की मोहरें			
(ii)	सील			
(iii)	पत्र-शीर्ष			
(iv)	नाम पट्ट			

12. अनुभाग /प्रभाग में हिंदी में प्राप्त हुए या हिंदी में हस्ताक्षरित पत्र :

- (i) प्राप्त हुए पत्रों की कुल संख्या
- (ii) उन पत्रों की संख्या जिनके उत्तर हिंदी में भेजे गए
- (iii) उन पत्रों की संख्या जिनके उत्तर अंग्रेजी में भेजे गए
- (iv) उन पत्रों की संख्या जिनके उत्तर भेजे जाने अपेक्षित नहीं थे
- (v) हिंदी में प्राप्त या हिंदी में हस्ताक्षरित पत्रों का उत्तर हिंदी में नहीं भेजे जाने के कारण

13. अनुभाग/प्रभाग में "क"\* और "ख" क्षेत्रों से अंग्रेजी में प्राप्त पत्र :

- (i) प्राप्त हुए पत्रों की कुल संख्या
- (ii) उन पत्रों की संख्या जिनके उत्तर हिंदी में भेजे गए
- (iii) उन पत्रों की संख्या जिनके उत्तर अंग्रेजी में भेजे गए
- (iv) उन पत्रों की संख्या जिनके उत्तर भेजे जाने अपेक्षित नहीं थे

\*"क" क्षेत्र के अंतर्गत पत्रों की गणना में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के आंतरिक पत्राचार को भी शामिल किया जाए।

14. अनुभाग/प्रभाग द्वारा अपनी ओर से जारी किए गए पत्र (ऊपर मद संख्या 12 एवं 13 में वर्णित पत्रों को छोड़कर):

जारी किए गए पत्रों की कुल संख्या	हिंदी में जारी किए गए पत्रों की संख्या	अंग्रेजी में जारी किए गए पत्रों की संख्या	हिंदी में जारी किए गए पत्रों की प्रतिशतता
----------------------------------	--	---	---

- (i) "क" और "ख" क्षेत्रों में स्थित राज्य-सरकारों/ संघ शासित क्षेत्र-प्रशासनों और गैर-सरकारी व्यक्तियों को भेजे गए पत्र
- (ii) "क" और "ख" क्षेत्रों में स्थित केन्द्र-सरकार के कार्यालयों को भेजे गए पत्र
- (iii) "ग" क्षेत्र में स्थित राज्य-सरकारों/संघ शासित क्षेत्र-प्रशासनों और गैर-सरकारी व्यक्तियों को भेजे गए पत्र
- (iv) "ग" क्षेत्र में स्थित केन्द्र-सरकार के कार्यालयों को भेजे गए पत्र

15. उन फाइलों से संबंधित विवरण जिनमें अनुभाग/प्रभाग द्वारा संबंधित छमाही (घालू छमाही से तत्काल पहले की छमाही)के दौरान कार्य किया गया :

फाइलों की कुल संख्या	उन फाइलों की संख्या जिन पर टिप्पणियाँ हिंदी में लिखी गईं	उन फाइलों की संख्या जिन पर टिप्पणियाँ अंग्रेजी में लिखी गईं	हिंदी में लिखी गई टिप्पणियों की प्रतिशतता
----------------------	--	---	---

16. राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) में उल्लिखित अनुभाग/प्रभाग द्वारा जारी किए गए दस्तावेजों (नामशः संकल्प, सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचनाएं, प्रशासनिक या अन्य रिपोर्ट, संसद में रखे जाने वाले कागज-पत्र, प्रैस-विज्ञप्ति, संविदा (काँट्रैक्ट), करार (एग्रीमेंट), लाइसेंस, परमिट, निविदा आमंत्रण सूचना (टेंडर इन्वाइटिंग नोटिस) और निविदा प्ररूप (टेंडर फॉर्म)) का पृथक्-पृथक् ब्यौरा :

क्रम सं.	दस्तावेज का नाम	कुल संख्या	केवल हिंदी में जारी दस्तावेजों की संख्या	केवल अंग्रेजी में जारी दस्तावेजों की संख्या	हिंदी और अंग्रेजी दोनों में जारी दस्तावेजों की संख्या
----------	-----------------	------------	--	---	---

17. क्या वर्तमान तिमाही से पहले की तिमाही की रिपोर्ट समय पर अर्थात् संबंधित तिमाही की समाप्ति के दस दिन के अन्दर राजभाषा प्रभाग को प्रस्तुत कर दी गई थी? यदि हाँ तो किस तारीख को और यदि नहीं तो विलंब से प्रस्तुत किए जाने/प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण स्पष्ट करें ।

18. घोषणा :

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि इस निरीक्षण-प्रश्नावली में दी गई सम्पूर्ण जानकारी/सूचना की जांच कर ली गई है और वह सही पाई गई है ।

दिनांक :

अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव के हस्ताक्षर  
(मोहर सहित)

नाम एवं पदनाम :

बाह्य दूरभाष सं :

इन्टरकॉम :

राजभाषायी निरीक्षण करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर

नाम :

पदनाम :